

350

राजस्व न्यायालय माननीय राजस्व भण्डल खालियर केम्प भोपाल

निगरानी-6072/2018/सी.ए.ए. 20

नि0प्र0क्र0:- /18

हरिओम आ. श्री लक्ष्मीनारायण जाति तेली आयु लगभग 35 वर्ष  
निवासी ग्राम सुकरवास तहसील नसरुल्लागंज  
जिला सीहोर म0प्र0

निगरानीकर्ता

विरुद्ध

- 1, गुरुदयाल आ. देवकरण जाति गूजर आयु वयस्क,
- 2, हीरालाल आ. देवकरण जाति गूजर आयु वयस्क,
- 3, मोहनसिंह आ. सोभागसिंह जाति ठाकुर आयु वयस्क,
- 4, देवदास आ. आशाराम जाति गूजर आयु वयस्क,
- 5, लक्ष्मीनारायण आ. रामनारायण जाति मीना आयु वयस्क,
- 6, शंकरलाल आ. लक्ष्मीनारायण जाति मीना आयु वयस्क,
- 7, चम्पालाल आ. मनफूल जाति मीना आयु वयस्क,
- 8, किशनलाल आ. मनफूल जाति मीना आयु वयस्क,
- 9, देवीनारायण आ. हीरालाल जाति मीना आयु वयस्क,  
क्रमोंक 1 से 9 निवासी ग्राम कुमनताल तहसील नसरुल्लागंज  
जिला सीहोर म.प्र.,
- 10, नायब तहसीलदार महोदय नसरुल्लागंज  
जिला सीहोर म.प्र.

उत्तरदातागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता

अधीनस्थ न्यायालय माननीय नायब तहसीलदार महोदय नसरुल्लागंज जिला सीहोर  
द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमोंक 06/अ-13/2016-17 मे दिनोंक 23.08.2016 को

पारित आदेश की निगरानी


निगरानीकर्ता तर्फे निम्नानुसार निगरानी सादर प्रस्तुत है:-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक R/6072/18/लीटोर/मु.रि.

हरिओम गुरुनारायण

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20/12/18	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>जगदीश आन</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार <u>गुलशर लाल गुर्जर, लीटोर</u> के प्रकरण क्रमांक <u>06/34-13/16-17</u> में पारित आदेश दिनांक <u>23/08/18</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला <u>लीटोर</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>03/04/19</u> को कलेक्टर जिला <u>लीटोर</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p> सदस्य</p>

